आदेश की क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी,तारिख सहित 3

आदेश

10/7/17

अपर समाहर्त्ता, लोक शिकायत निवारण–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बांका के द्वारा प्रथम अपील में दिनांक–04.03.2017 को पारित आदेश के विरूद्व परिवादी शिव शंकर ठाकुर, पिता–गजाधर ठाकुर, ग्राम–जगतपुर, पोस्ट–जगतपुर, थाना–पंजवारा, अंचल–धोरैया, जिला–बांका के द्वारा द्वितीय अपील दायर किया गया है जिसका अनन्य संख्या–523110131101600718/2A वर्ष–2017 शिव शंकर ठाकुर बनाम् अंचल अधिकारी, धोरैया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, धोरैया के पत्रांक–789 दिनांक–07.06.17 एवं ज्ञापांक–840 दिनांक–22.06.17 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।

अपीलार्थी का परिवाद यह है कि उनके आवासीय जमीन के आगे गैर मजरूआ आम जमीन है जिसका खाता सं0–121 एवं खेसरा सं0–825 है पर गॉव के ही दो दबंग भाई वासुदेव यादव एवं आनन्दी यादव उर्फ बोगी यादव दोना पिता–स्व0 बुधन यादव ने झोपड़ी बनाकर रास्ते पूर्णरूपेण बंद कर दिया है। इसके विरूद्व उन्हे पिछले एक साल कई आवेदन दिया परन्तु कोई कार्रवाई नहीं हुई। अनुमंडल लोक शिकायत निवारण तथा अपर समाहर्त्ता, बांका लोक शिकायत निवारण में वाद दायर किया जिसमें अंचलाधिकारी, धोरैया को निर्देश दिया गया कि 15 दिनों के अन्दर अतिक्रमित भूमि को खाली करावें परन्तु समय बीत जाने के बाद भी अंचलाधिकारी, धोरैया द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया।

अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन दिनांक–07.06.17 में यह तथ्य अंकित किया गया है कि परिवाद पत्र के आलोक में अंचल अमीन द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर अतिक्रमण वाद सं0–01/2016–17 दायर कर कुल–32 (बत्तीस) अतिक्रमणकारी को बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के तहत् खास सूचना निर्गत किया गया। उक्त नोटिस के आलोक में दिनांक–28.02.17 को कुल–20 (बीस) व्यक्तियों द्वारा अपनी–अपनी उपस्थिति दी गयी। उपस्थिति के साथ अतिक्रमणकारी द्वारा साक्ष्य के रूप में जमीन से संबंधित कोई कागजात दाखिल नहीं किया गया। पुनः कुल– 32 (बत्तीस) अतिक्रमणकारियों के विरूद्व प्रपत्र–II में अंतिम नोटिस निर्गत किया गया है।

उक्त प्रतिवेदन के आलोक में दिनांक–08.06.17 को परिवादी की सुनवाई की गयी तथा सुनवाई पश्चात् C.O, धोरैया को ठोस कार्रवाई करने एवं अतिक्रमण मुक्त कर प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया।

अनुपालन में अंचल अधिकारी, धोरैया के ज्ञापांक–840 दिनांक–22.06.17 द्वारा यह सूचित किया गया है कि अतिक्रमण हटाने हेतु 60 (साठ) पुरूष एवं 40 (चालीस) महिला पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति हुतु अनुमंडल पदाधिकारी, बांका से अनुरोध किया गया है ताकि दिये गये निदेश का अनुपालन किया जा सके।

इस संबंध में अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बांका के द्वारा दिनांक–15.12.16 तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा दिनांक–04.03.17 को पारित आदेश का भी अवलोकन किया गया। उक्त दोनों प्राधिकार के समक्ष अंचल अधिकारी, धोरैया द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि परिवाद के आलोक में प्रश्नाधीन भूमि पर अतिक्रमण व्याप्त है तथा दोनों प्राधिकारों द्वारा अंचल अधिकारी को यथोचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है परन्तु अंचल अधिकारी द्वारा अपेक्षित कार्रवाई नहीं करने के परिणामस्वरूप परिवादी द्वारा द्वितीय अपील अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दायर किया गया है।

अतः वस्तुस्थिति के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, बांका को निर्देश दिया जाता है कि अंचल अधिकारी, धोरैया द्वारा अतिक्रमण हटाने हेतु पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति हेतु की गयी अधियाचना के आलोक में अविलंब अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि अंचल अधिकारी द्वारा व्याप्त अतिक्रमण को मुक्त करने की कार्रवाई की जा सके। इस क्रम में अंचल अधिकारी, धोरैया को यह निदेश दिया जाता है कि अनुमंडल पदाधिकारी, बांका से समन्वय स्थापित कर 60 (साठ) दिनों के

अन्दर अतिक्रमण हटायेगें।

यदि निर्धारित समय के अन्दर अतिक्रमण नहीं हटाते है तो परिवादी पुनः परिवाद दायर कर सकते है। तदआलोक में द्वितीय अपील स्वीकृत करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। सभी संबंधित को अनुपालनार्थ सूचित करें।

लेखापित

10/7/17

जिला पदाधिकारी,
बांका

10/7/17

जिला पदाधिकारी
–सह–
द्वितीय अपीलीय प्राधिकार,
जिला लोक शिकायत निवारण,
बांका।